न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल मध्यप्रदेश,ग्वालियर (म.प्र)

R 90 PBR 17

पुनरीक्षण याचिका कं :–

प्रस्तुत दिनांक :– 3/1/2017

पेशी दिनांक :–

1. श्रीमति किरण बाई उम्र लगभग 50 वर्ष विधवा स्व.श्री सुखलाल व्यवसाय कृषि एवं गृहणी निवासी ग्राम धुलकोट तहसील नेपानगर जिला बुरहानपुर म.प्र. ——याचिकाकर्ता

–विरूध्द–

1. प्रेमसिंग आयु 50 वर्ष पिता रामसिंग व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम हरदा तहसील नेपानगर जिला बुरहानपुर म.प्र. —— प्रत्यर्थी

श्री जितेन्द्र ... द्वारा आज दि. 3-1-17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

याचिकाकर्ता निम्नलिखित निवेदन करती है कि :–

याचिकाकर्ता द्वारा यह पुनरीक्षण याचिका अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय, नेपानगर द्वारा उनके राजस्व प्रकरण कं 144–अ/12 सन् 2015–16 (प्रेमसिंग पिता रामसिंग)मे पारित आदेश दिनांक 03.06.2016 से व्यथित एवं पीडितास होकर विधिक एवं तथ्यात्मक आधारो पर पुनरीक्षण याचिका श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करती है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 90–पीबीआर/17 जिला बुरहानपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1–3–2017	आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश दिनांक 3–6–2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् आवेदिका सहित पड़ोसी कृषकों को सूचना दी जाकर सीमांकन आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है, क्योंकि प्रकरण में दिनांक 21–5–16 को प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया गया है जिसका सूचना पत्र आवेदिका पर तामील है और तामीली स्वरूप उसके हस्ताक्षर भी है । अतः तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश प्रथमदृष्टया हस्तक्षेप योग्य नहीं होने से निगरानी अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) **अध्यक्ष**	